सं0 29018/3/97-अ0भा0से0॥।

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10-08- 1998

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि
के सचिव ।

विषय: अखिल भारतीय सेवाएं -प्रतिनियुक्ति की मानक सेवा-शर्तें ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रस्तावित सेवा-शर्तों को इस विभाग के पास विधिक्षा के लिए भेजते हैं । अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों में बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मामलों को भी इसी प्रयोजन के लिए भेजा जाता है । भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के मामलों की विधिक्षा क्रमशः गृह मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की जाती है जो इन अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी हैं ।

2. इस मामले में एकरूपता लाने के मद्देनज़र, प्रतिनियुक्ति की मानक सेवा शर्तें निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है तथा तद्नुसार, ऐसी नियुक्तियों के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए ऐसी सेवा-शर्तों का एक सेट तैयार किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है । ऐसा सेट इस विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में समय-समय पर जारी समेकित अनुदेशों के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के संबंध में मूल-नियमों में यथा-निर्दिष्ट प्रतिनियुक्ति की मानक सेवा-शर्तों, तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पूर्व में की गई ऐसी नियुक्तियों की सेवा-शर्तों के आधार पर, तैयार किया गया है ।

3. आगे यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने तथा इस विभाग से संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा के

अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की सेवा-शर्तों को प्राप्त करने में होने वाले परिहार्य विलंब को कम से कम करने के प्रयोजन से, भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विभागों को अपने अधीन कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में हरेक मामले में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की सहमति लिए बिना, संलग्न मानक सेवा-शर्तों के आधार पर स्वयं सेवा शर्तें तैयार करने तथा उनको अंतिम रूप देने संबंधी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं। तथापि, यदि किसी मामले विशेष में अनुमत की जाने वाली एक या एक से अधिक प्रस्तावित सेवा शर्तें मानक सेवा-शर्तों से अलग है तो यह आवश्यक होगा कि उस मामले को इस विभाग को भेजा जाए और पूर्वानुमति ली जाए।

4. भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी अर्थात क्रमश: गृह मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को यह सलाह दी जा रही है कि वे इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी मानक सेवा-शर्तें उक्त आधार पर तैयार करें।

भवदीय,

ह॰/- अ॰ सरकार

(ए॰के॰ सरकार)
निदेशक

प्रति- सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को प्रेषित:

1. गृह मंत्रालय, पुलिस प्रभाग (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. पर्यावरण और वन मंत्रालय, आई॰एफ॰एस॰ प्रभाग (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

प्रति, निम्नलिखित को भी सूचना के लिए प्रेषित :

1. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्य सरकारों के महालेखाकार। (अतिरिक्त प्रतियां-200)

ह॰/- अ॰ सरकार

(ए॰ के॰ सरकार)
निदेशक

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में प्रतिनियुक्ति के संबंध में मानक सेवा-शर्तें ।

1. प्रतिनियुक्ति की अवधि : .....से .....तक (ब्यौरा दिया जाना है)

2. वेतन : प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान सेवा का सदस्य भारत सरकार के .....के रूप में वेतन अर्जित करेगा । इस प्रयोजनार्थ, उधारकर्ता संगठन का पद, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 9(1) के अनुसार यथा अपेक्षित, नियमावली की अनुसूची .....में उल्लिखित भारत सरकार के .....पद के बराबर माना जाएगा ।

टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति पर धारित पद को समीकृत करने के लिए उसे उस पद के स्तर के बराबर रखा जाएगा, जिस पद के लिए अधिकारी का नाम केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अनुसार सूची में रखा गया है । तथापि, संवर्ग नियमावली के नियम 6(2)(i) के तहत प्रतिनियुक्ति के मामलों में और मुख्य सतर्कता अधिकारी/प्रवर्तन निदेशक (सतर्कता) पद पर नियुक्ति में, पद को उस ग्रेड के संदर्भ में बराबर रखा जाएगा जिस ग्रेड में वह प्रतिनियुक्ति पर आने से पूर्व राज्य संवर्ग में वेतन अर्जित कर रहा था और केन्द्र में इस रूप में दिए जाने वाले पद के स्तर को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

3. महंगाई भत्ता : महंगाई भत्ते के संबंध में सेवा का सदस्य अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियमावली, 1972 के उपबंधों द्वारा अधिशासित होगा ।

4. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता तथा मकान किराया भत्ता :

प्रतिनियुक्ति के दौरान नगर प्रतिकरात्मक भत्ता और मकान किराया भत्ता उधारकर्ता संगठन के नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । यदि संगठन द्वारा कोई मकान किराए पर लिया जाता है/इसके स्वामित्व में है तो उस स्थिति में ऐसे आवास की सुविधा प्राप्त करने के एवज में अधिकारी को वेतन का 10% जमा महंगाई भत्ता/महंगाई वेतन और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता कार्यालय को अदा करना होगा और उस स्थिति में मकान किराया भत्ता आहरित करने संबंधी उसकी हकदारी समाप्त हो जाएगी । इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के मामलों में लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विस्तृत आदेश लागू होंगे । स्थानीय निकायों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनियुक्ति के मामलों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर ज़ारी किए गए आदेश लागू होंगे ।

5. स्थानांतरण यात्रा भत्ता/कार्यभार ग्रहण करने की समयावधि

सेवा के सदस्य को, जिस संगठन में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, वह वहां कार्यभार ग्रहण करने और प्रत्यावर्तन, दोनों ही स्थितियों में वहीं के नियमानुसार स्थानांतरण यात्रा भत्ता और कार्यभार ग्रहण करने की समयावधि की सुविधाओं का हकदार होगा, जो कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली के संगत प्रावधानों से कम नहीं होंगी । इस संबंध में होने वाला व्यय उधारकर्त्ता संगठन द्वारा वहन किया जाएगा ।

6. आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम : सेवा के सदस्य, अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969 द्वारा अधिशासित होते रहेंगे ।

7. ड्यूटी के दौरान यात्रा के संबंध में यात्रा भत्ता एवं महंगाई भत्ता

सेवा के सदस्य को सरकारी काम-काज के सिलसिले में की गई यात्राओं के लिए उधारकर्त्ता संगठन में यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते का भुगतान वहीं के नियमों के तहत किया जाएगा ।

8. छुट्टी तथा पेंशन : प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, सेवा के सदस्य अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 एवं अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान) नियमावली, 1958 द्वारा अधिशासित होते रहेंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान या उसके समाप्त होने पर ली गई समस्त छुट्टियों के संबंध में व्यय, उधारकर्त्ता संगठन द्वारा वहन किया जाएगा । परवर्ती मामलों में छुट्टी तथा उसकी अवधि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा ज़ारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी । सेवा के सदस्य को उधारकर्त्ता संगठन की किसी भी पेंशन योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

9. भविष्य निधि : बाह्य सेवा की अवधि के दौरान, सेवा का सदस्य भविष्य निधि योजना के नियमानुसार, उसी अखिल भारतीय सेवा की भविष्य निधि योजना में अंशदान करना जारी रखेगा, जिसमें वह बाह्य सेवा पर जाने से पूर्व अंशदान कर रहा था ।

10. चिकित्सा संबंधी सुविधाएं : बाह्य निकाय, सेवा के सदस्य को चिकित्सा संबंधी ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो कि किसी भी रूप में उससे कम नहीं होंगी जो कि इस विषय में केन्द्र सरकार के नियमानुसार उसी स्तर और रैंक के अखिल भारतीय सेवा के किसी भी सदस्य को अनुमत्य होती हैं ।

.../3/-

11. परिवहन सुविधाएं : सेवा के सदस्य, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार निजी प्रयोजनों के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग करने के हकदार होंगे, यदि संबद्ध संगठन में इस आशय के कोई नियम विद्यमान नहीं हैं।

12. छुट्टी यात्रा रियायत : उधारकर्त्ता संगठन सेवा के सदस्य को अपने नियमानुसार स्वीकार्य छुट्टी यात्रा रियायत प्रदान किए जाने की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि ये प्रसुविधाएं, अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1975 के तहत उन्हें स्वीकार्य प्रसुविधाओं से कम न हों। इस संबंध में होने वाला समस्त व्यय उधारकर्त्ता संगठन द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, यह रियायत इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले अधिकारी ने उस ब्लॉक-वर्ष विशेष के दौरान यह रियायत पहले ही न ले ली हो।

13. निशक्तता छुट्टी : यदि सेवा का कोई सदस्य बाह्य सेवा के दौरान निशक्त हो जाता है तथा बाह्य सेवा की समाप्ति पर भी निशक्तता हो जाती है तो ऐसी निशक्तता के लिए उसे प्रदान की गई निशक्तता छुट्टी यदि कोई हो तो उसके संबंध में वेतन छुट्टी परिलब्धियां उधारकर्त्ता संगठन द्वारा प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में अखिल भारतीय सेवा के संगत नियम लागू होंगे।

14. छुट्टी वेतन/पेंशन अंशदान : संगठन सेवा के सदस्य के मूल संवर्ग की सरकार को वेतन छुट्टी और पेंशन अंशदान राष्ट्रपति द्वारा मूल नियम 116 के अधीन जारी आदेशों के अनुसार समय-समय लागू दर पर प्रदान करेगा। इन अंशदानों का भुगतान वार्षिक आधार पर प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करना होगा अथवा बाह्य सेवा की समाप्ति पर यदि प्रतिनियुक्ति वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले समाप्त होती हो। विलम्बित आदायगी का ब्याज सहित भुगतान वित्त मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक 10 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या एफ 1(1)-ई-111/83 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार करना पड़ेगा। संबंधित महा लेखाकार द्वारा छुट्टी, वेतन तथा पेंशन अंशदान की दर की जानकारी लम्बित रहने की दशा में संगठन द्वारा छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान का भुगतान निर्धारित दर पर अनन्तिम रूप से करना होगा।

15. समूह बीमा : यदि सेवा के सदस्य ने 31.12.1981 से पहले केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 में रहने का विकल्प नहीं दिया है तो अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) नियमावली 1981 की अनुसूची में यथा संलग्न उक्त योजना उस पर लागू होगी। ऐसे मामले में, संगठन द्वारा उसके वेतन में से काटी गयी 120रू0/- प्रतिमाह अंशदान की राशि संबंधित महा लेखाकार के पास जमा कराई जाएगी। यदि किसी समय अंशदान की राशि बकाया राशि के रूप में इकट्ठी हो जाती है तो यह राशि इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य ब्याज सहित बचत निधि खाते में डालते समय वसूल की जाएगी।

16. अवशिष्ट मामले : सेवा का सदस्य, उधारकर्त्ता संगठन में उपर्युक्त मद संख्या 1 से 15 के अंतर्गत न आने वाली सेवा की शर्तों तथा सुविधाओं/प्रसुविधाओं और परिलब्धियों के सभी मामलों के संबंध में संघ के कार्यों से संबंधित अखिल भारतीय सेवा के सदस्य पर लागू होने वाले नियम, विनियम तथा आदेशों के द्वारा शासित होगा ।

17. उपर्युक्त शर्तें सेवा के सदस्य पर तब तक लागू रहेंगी जब तक कि वह उधारकर्त्ता संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहता है । प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर वह अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए निर्धारित संगत नियमों के तहत शासित होगा ।